शीर्ष प्राथमिकता

परिपत्र संख्याः 23 /मा0अनु0/2019

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 09 अगस्त, 2019

महोदय,

प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बंदियों द्वारा आत्महत्या की रोकथाम के सम्बन्ध में समय–समय पर आवश्यक निर्देश निर्गत किये हैं। जेल मैनुअल के प्रस्तर संख्या–939 में वर्णित है कि जेलों में बंदियों द्वारा कारित आत्महत्या तथा असामान्य परिस्थितियों में हुयी उनकी मृत्यु की रिपोर्ट महानिरीक्षक कारागार द्वारा तत्काल उ0प्र0 शासन को भेजी जायेगी, तदुपरान्त एक माह के अन्दर उपरोक्त घटना से सम्बन्धित एक **"एक्शन टेकेन रिपोर्ट"** भी शासन को प्रेषित की जाये।

आप अवगत हैं कि मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के आदेशों के क्रम में शासन के पत्र सं0–102जे0/22–3–2007–8एचआरसी/1995, दिनांक 28.02.2007 द्वारा कारागार में निरूद्ध बंदियों के प्रत्येक मृत्यु प्रकरणों में वांछित सूचनायें/अभिलेख निम्नवत् निर्धारित समयान्तर्गत मा0 आयोग/शासन तथा अन्य सभी संबंधितों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1– | मृत्यु घटना की सूचना | – | मृत्यु के 24 घण्टे के अन्दर। |
| 2– | विस्तृत घटना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पंचनामा रिपोर्ट। | – | एक सप्ताह के अन्दर। |
| 3– | मृतक बन्दी की कारागार में प्रवेश के समय स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं बीमार पाये गये बंन्दियों को कालान्तर में दिये गये उपचार सम्बन्धी रिपोर्ट। | – | एक सप्ताह में। |
| 4– | आवश्यकतानुसार पोस्टमार्टम के वीडियो कैसेट की रिपोर्ट। | – | एक सप्ताह में। |
| 5– | मजिस्ट्रीरियल जांच रिपोर्ट। | – | एक माह में। |
| 6– | विसरा जांच रिपोर्ट(मृत्यु का कारण) स्पष्ट न होने की स्थिति में। | – | तीन माह में। |

अतः पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि जेल मैनुअल के प्रस्तर–939 एवं शासनादेश दिनांक 28.02.2007 में वर्णित तथ्यों/बिन्दुओं का अपनी कारागारों में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए **"भविष्य में बंदियों द्वारा की गयी आत्महत्या तथा असामान्य परिस्थितियों में हुई मृत्यु प्रकरणों की एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें"**, ताकि मुख्यालय स्तर से नियत समयान्तर्गत अग्रिम अपेक्षित कार्यवाही की जा सके।

9/8/19

**( आनन्द कुमार )**
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।